भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2154
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

ओडिशा में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजनाएं

2154. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के अंतर्गत 2014 से 2024 तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ख) संपूर्ण देश में और विशेषकर ओडिशा में कार्यरत कामकाजी महिला हॉस्टल का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का प्रत्येक जिले में कामकाजी महिला हॉस्टल की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) ओडिशा में इस योजना के अंतर्गत 2024 से प्राप्त/स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है; और
(ड.) सरकार द्वारा इस योजना के विज्ञापनों/प्रचार/संवर्धन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत एक मांग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके कार्यान्वयन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि सीधे जारी की जाती है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवासों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, जहां उनके बच्चों के लिए डे-केयर सुविधा भी उपलब्ध हो। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय

ज़रूरतों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं का आकलन करते हैं तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है। इस योजना में, किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और निर्माण घटक को बंद कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-2025 तक सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

वर्तमान में, ओडिशा सहित देश भर में 538 सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) कार्यशील हैं। देश भर में कार्यशील सखी निवासों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) से (ङ): ओडिशा राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान किराये पर सखी निवास स्थापित करने हेतु पीएबी की बैठक में विचारार्थ क्रमशः 22 और 06 नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इन प्रस्तावों को पीएबी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने भी अगस्त, 2024 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के भाग (X) (कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण) के अंतर्गत कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु 28 राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत, ओडिशा राज्य को 189.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने 189.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 4000 बिस्तरों वाले एक छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को व्यय विभाग ने मंजूरी दे दी है और व्यय विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा राज्य सरकार को 124.74 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य में कामकाजी महिला छात्रावास योजना के प्रचार के लिए कई कदम उठाए हैं, अर्थात स्थानीय निकायों और महिला संगठनों के सहयोग से जिला और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक आउटरीच, जागरूकता शिविरों और कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई है।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय सांसद (लोकसभा) श्री बैजयंत पांडा द्वारा 'ओडिशा में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजनाएं' विषय पर पूछे गए दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-2025 तक सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

(राशि लाख रुपये)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	326.47	181.08	247.88	0.00	476.93	146.49	0.00	0.00	0.00	21.52	0.00
अरुणाचल प्रदेश	88.48	268.42	192.54	193.46	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.02
असम	0.00	0.00	0.00	8.83	7.77	0.00	7.76	0.00	0.00	61.47	54.84
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	26.68	4.98
गुजरात	0.00	0.00	0.00	183.76	0.00	0.00	0.00	69.70	0.00	46.46	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	265.83	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	9.29	4.65
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	37.24
कर्नाटक	46.57	0.00	0.00	973.66	0.00	482.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	20.66	244.80	932.17	0.00	252.56	901.5	0.00	273.97	384.00	48.00	102.12
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	347.99	0.00	244.03	0.00	0.00	191.19	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	251.76	0.00	7.17	161.43	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00	25.55
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	170.62	136.50	0.00	40.88	0.00	0.00	49.67
मणिपुर	35.32	92.08	149.74	462.28	915.51	169.49	990.61	164.70	784.85	58.87	81.55
नागालैंड	58.53	181.03	442.48	600.56	419.58	244.24	223.67	96.09	0.00	175.15	27.87
ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.18	350.25	593.94	0.00	108.31
तेलंगाना	322.89	0.00	0.00	0.00	268.91	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
दिल्ली*	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	179.58	300.18	11.52	0.00	0.00	3.02
कुल	**904.97**	**1219.17**	**2312.80**	**2695.55**	**3034.10**	**3254.76**	**1950.78**	**1203.76**	**1762.79**	**452.24**	**813.66**

* वित्तीय वर्ष 2024-25 को छोड़कर, जसोला छात्रावास के कर और मरम्मत कार्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को निधि जारी की गई।

अनुलग्नक-II

माननीय सांसद (लोकसभा) श्री बैजयंत पांडा द्वारा 'ओडिशा में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजनाएं' विषय पर पूछे गए दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्रक

कार्यशील सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) का ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	05
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00
4.	असम	10
5.	बिहार	00
6.	चंडीगढ़	06
7.	छत्तीसगढ़	06
8.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	00
9.	दिल्ली	15
10.	गोवा	00
11.	गुजरात	14
12.	हरियाणा	07
13.	हिमाचल प्रदेश	06
14.	जम्मू और कश्मीर	01
15.	झारखंड	02
16.	कर्नाटक	62
17.	केरल	138
18.	लद्दाख	00
19.	लक्षद्वीप	00
20.	मध्य प्रदेश	02
21.	महाराष्ट्र	85
22.	मणिपुर	18
23.	मेघालय	03
24.	मिजोरम	03
25.	नागालैंड	16
26.	ओडिशा	11
27.	पुद्दुचेरी	04
28.	पंजाब	00
29.	राजस्थान	15
30.	सिक्किम	01
31.	तमिलनाडु	60
32.	तेलंगाना	17
33.	त्रिपुरा	00

34.	उत्तराखंड	00
35.	उत्तर प्रदेश	08
36.	पश्चिम बंगाल	00
कुल*		**538**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

x-x-x-x